31/3/21

आज पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी उप० आदि / प्रार्थी/प्रार्थीगण
की ओर से [illegible] का कथन रहा कि वादीगण ने अपने
वादपत्र में प्रतिवादी नं० 15 रामजीलाल, 95 गिरधारी, 50 छोटे एवं
अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया है जिनकी बाबत उन्हें
पूर्व में ही जानकारी रही है तथा तत्कालीन आपत्ती में वाद
में [illegible] वाली पार्टि शिवनारायण को आवश्यक पक्षकार
है पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है निवेदन करते हुए वादी के
वाद को आदेश 7 नियम 11 जा० दी० के तहत खारिज
किये जाने का निवेदन रहा। जिसके जवाब में
वादी [illegible] ने निवेदन किया कि पार्टी [illegible]
ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है वे
पक्षकारान की फौताती की जानकारी नहीं रही है वे [illegible]
पार्टि शिवनारायण [illegible] पक्षकार बनाये जाने से
रह गई है तथा दावा तत्कालीन आपत्ती होने से उनको
को पक्षकार बनाये जाने से दावा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है
अभी कोई [illegible] नहीं आई है आदि
आदि निवेदन [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible]
खारिज किये जाने का निवेदन रहा। (वकील [illegible]

उपखण्डाधिकारी
[illegible]डाबर (अलवर) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:20 IST
Reason: SelfAttested

रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र 07 आ0का0 हो0 पर वाद हेतुक [illegible] उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/ प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।	
	आदेश	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/ प्रतिवादी का प्रा0 पत्र 07 R11 आ0का0 हो0 स्वीकार योग्य पाये जाने की स्वीकार किया जाता है एवं वादी लिखित में प्रतिवादी की दा0 स्वीकार की जाती है एवं वादी की अग्रिम कार्यवाही द्वारा प्रस्तुत तरमीम आवेदन के वाद की अग्रिम कार्यवाही खारिज किया जाता है। पत्रावली इन्द्राज रजिस्टर से खारिज कर्ण्य/ फैसलशुदा दर्ज [illegible] सुनाया गया/ जमा रिकॉर्ड की जावे।	
	[illegible]	
	उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0	
	Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2021.06.24 10:33:20 IST Reason: SelfAttested	